

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 160 : समापनाधीन कंपनी से वसूली

जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयुक्त, कर, ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन शोध्द किसी अन्य रकम की वसूली के लिए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-24** में समापक को अधिसूचित करेगा।
